अनुदान संख्या 4 - आयुष मंत्रालय
GRANT No. 4 - MINISTRY OF AYUSH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3703,74,00		3703,75,00	3456,29,44	-247,45,56
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					239,95,43
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	8,75,00		13,65,00	12,34,40	-1,30,60
पूरक	Supplementary	4,90,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,29,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	241439.00	229990.64	229299.20	-691.44
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-11449.36			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	21437.00	10.50	..	-10.50
पु.	R.	-21426.50			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	92500.00	106517.60	106517.60	..
पु.	R.	14017.60			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	10000.00	5045.00	5045.00	..
पु.	R.	-4955.00			

(I) ₹21504.00 का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹20697.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹21504.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads, of these ₹20697.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" -under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (चिकित्सा की अन्य पद्धतियां) – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹12000.00 लाख;

(A) "Urban Health Services (Other Systems of Medicines) - Other Systems - National AYUSH Mission" - ₹12000.00 lakhs;

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां" –

(क) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग"– ₹4114.00 लाख;

(ख) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर)" – ₹4033.00 लाख; और

(गा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – यूनानी – केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹550.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय" – ₹1338.12 लाख की बचत (₹4320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और निर्माण गतिविधियों को मंजूरी न मिलने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना" – ₹3356.09 लाख की बचत (₹13742.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव

(B) "Medical Education, Training & Research - Other Systems" -

(a) "North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong" - ₹4114.00 lakhs;

(b) "North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research (NEIAFMR)" - ₹4033.00 lakhs; and

(C) "Medical Education, Training & Research - Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹550.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Expenditure on Information, Education and Communication (IEC)" - saving of ₹1338.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4320.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-filling up of vacant posts and non-approval of construction activities.

(ii) "Promotion of International Cooperation" - saving of ₹3356.09 lakhs (against the sanctioned

प्राप्त न होने और विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन न होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹13742.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of proposal and non-organising of various National/International Conferences.

(iii) "आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)" – ₹1108.34 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "Ayush Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY)" - saving of ₹1108.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "अन्य पद्धतियां" –

(b) "Other Systems" -

(i) "राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹3297.73 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम मांग होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(i) "National AYUSH Mission" - saving of ₹3297.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to less demand from States.

(ii) "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना" – ₹949.00 लाख की बचत (₹4849.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Central Sector Scheme for Conservation Development and Sustainable Management of Medicinal Plants" - saving of ₹949.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4849.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(क) "आयुर्वेद – आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए)" – ₹1400.00 लाख की बचत

(a) "Ayurveda -Institute of Teaching and Research in Ayurveda (ITRA)" - saving of

(₹14405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "होम्योपैथी – राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान" – ₹760.61 लाख की बचत (₹9169.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(ग) "यूनानी – केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹3250.00 लाख की बचत (₹21630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, फरीदाबाद के भवन के प्रस्तावित निर्माण को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(घ) "सिद्ध – राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान" – ₹1925.00 लाख की बचत (₹10087.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "अन्य पद्धतियां" –

(i) "केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" – ₹5867.39 लाख की बचत (₹10045.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹1596.25 लाख की बचत (₹4029.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निसर्ग ग्राम परियोजना के

₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14405.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Public Works Department.

(b) "Homoeopathy - Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata" - saving of ₹760.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9169.00 lakhs) was due to non-engagement of contractual staff and non-filling up of vacant posts.

(c) "Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - saving of ₹3250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21630.00 lakhs) was due to non-approval of proposed construction of Regional Research Institute of Unani Medicine, Faridabad building.

(d) "Siddha - Grants to National Institute of Siddha Chennai" - saving of ₹1925.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10087.00 lakhs); and

(e) "Other Systems" -

(i) "Grants to Central Council for Research in Yoga & Naturopathy" - saving of ₹5867.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10045.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-approval of construction projects.

(ii) "Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" - saving of ₹1596.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4029.00 lakhs) was due

शैक्षणिक ब्लॉक के बंद होने के कारण हुई।

(iii) "आयुर्ज्ञान" – ₹2379.77 लाख की बचत (₹4950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) "आयुर्स्वास्थ्य योजना" – ₹5197.26 लाख की बचत (₹7259.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत कम मांग और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन" के अंतर्गत ₹4955.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम मांग होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1322.70 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिप्रतिसंतुलित हो गई:–

(I) मुख्य शीर्ष "2210" –

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – आयुर्वेद – अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली" – ₹1600.00 लाख का अधिक व्यय (₹22720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गोवा में संस्थान के सैटेलाइट सेंटर के संचालन और रखरखाव के कारण हुआ।

to non-functioning of Academic Block of NISARG GRAM Project.

(iii) "Ayurgyan" - saving of ₹2379.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4950.00 lakhs); and

(iv) "Ayurswasthya Yojana" - saving of ₹5197.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7259.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand and non-engagement of contractual staff.

(III) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National AYUSH Mission" - saving of ₹4955.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to less demand from UTs.

(IV) Under four heads savings of ₹1322.70 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 21 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2210"-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi" - excess of ₹1600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22720.00 lakhs) was due to operationalization and maintenance of Institutes Satellite Centre at Goa.

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” –

(क) “आयुर्वेद” –

(i) “राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान” – ₹4601.00 लाख का अधिक व्यय (₹16855.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जयपुर और पंचकूला परियोजनाओं के लिए वापकोस एनपीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान और विद्वानों को वजीफा और हाउसकीपिंग सेवाओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) “केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹6332.00 लाख का अधिक व्यय (₹38050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यालय और संबद्ध संस्थानों के लिए कार्मिकों की भर्ती, उपकरणों और यंत्रों की खरीद तथा सेवानिवृत्ति लाभों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सीजीएचएस अंशदान के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “होम्योपैथी – केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹2100.00 लाख का अधिक व्यय (₹13800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई इकाई/कार्यक्रम शामिल किए जाने और नए भर्ती हुए कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(ग) “यूनानी – राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर को अनुदान” – ₹800.00 लाख का अधिक व्यय (₹9885.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम गाजियाबाद को लंबित सेवा शुल्क के भुगतान करने हेतु अतिरिक्त निधियों की

(B) “Medical Education, Training and Research” -

(a) “Ayurveda” -

(i) “Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” - excess of ₹4601.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16855.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment to WAPCOS NPCC, CPWD for Jaipur and Panchkula Projects and payment of stipend to scholars and housekeeping services.

(ii) “Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” - excess of ₹6332.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38050.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of personnel for headquarters and peripheral institutes, purchase of equipment and instrument and for payment of retirement benefits, medical reimbursements and CGHS subscription.

(b) “Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy” - excess of ₹2100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13800.00 lakhs) was due to incorporation of new unit/programme and towards payment of salary/allowances to new recruits.

(c) “Unani - Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore” - excess of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9885.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards

आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) "सिद्ध – केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई को अनुदान" – ₹536.00 लाख का अधिक व्यय (₹5058.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन, भत्ते और बकाया के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ङ) "अन्य पद्धतियां" –

(i) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹3296.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान" – ₹2936.50 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹5179.00 लाख का अधिक व्यय (₹75250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹6079.60 लाख का अधिक व्यय (₹11250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

payment of pending service charges to Nagar Nigam Ghaziabad.

(d) "Siddha - Grants to Central Council for Research in Siddha Chennai" - excess of ₹536.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5058.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards organizing of various promotional events, allowances and arrears.

(e) "Other Systems" -

(i) "North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong" - excess of ₹3296.00 lakhs (against nil provision);

(ii) "North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research (NEIAFMR)" - excess of ₹2936.50 lakhs (against nil provision); and

(II) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(A) "Central Assistance/Share - National AYUSH Mission" - excess of ₹5179.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75250.00 lakhs).

Excess under the above three heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National AYUSH Mission" - excess of ₹6079.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11250.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹2759.00 लाख (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राज्यों से अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - National AYUSH Mission" - ₹2759.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs).

Excess under the above two heads were due to more demand from States.